



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 54]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

**भारतीय स्टेट बैंक**

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

**सूचना**

मुम्बई, 14 फरवरी, 2015

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा मंगलवार, 24-03-2015 को प्रातः 11.00 बजे स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

**"संकल्प किया जाता है कि** भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहां इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009, यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और समय-समय पर अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमनों के अध्यक्षीन और शेयर बाजारों, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के अध्यक्षीन बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड को (यहाँ इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, और इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशकों की अन्य कोई समिति सम्मिलित हुई समझी जाएगी), इस संकल्प द्वारा **"भारत सरकार"** को अधिमान्य आधार पर

रु. 2,970 करोड़ की कुल राशि के लिए (प्रीमियम सहित) प्रति रु. 1/- के नकद मूल्य के ईक्विटी शेयर, ऐसी कीमत पर और ऐसी संख्या में जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने के लिए इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्धारण करने हेतु संगत तिथि साधारण सभा की तारीख से 30 दिन पूर्व की तिथि होगी।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम के रूप में प्रस्तावित तथा आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप श्रेणी में रहेंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश के लिए पात्र रहेंगे।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास इस प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजारों जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य दूसरे उचित प्राधिकरण द्वारा शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृति प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय आवश्यक हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं और जिनके लिए बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो।

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के प्रयोजन से बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाइयाँ और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और ऐसी वस्तुएं, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझी जाती हो, करने के लिए तथा ऐसे किसी मामले, कठिनाई या संदेह का निवारण करने के लिए जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय और उचित हो सकते हों और जो उसके पूर्व विवेकाधिकार में शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के बिना सही, उचित या वांछनीय समझी जा सकती हो/या इस उद्देश्य और इस अभिप्राय से प्राधिकृत करने से इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदन दिया हुआ समझा जाएगा।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि यहां उल्लिखित बोर्ड को प्रदत्त सभी या कोई अन्य अधिकार, अध्यक्ष या किसी प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जिसे उक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझा जा सकता है, प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

कारपोरेट केंद्र,

स्टेट बैंक भवन

मादाम कामा रोड

मुंबई - 400 021

दिनांक : 14.02.2015

अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./39/14]

### व्याख्यात्मक विवरण

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण**

(क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य :

वेसल-III के अंतर्गत बैंक की सीईटी-1 पूंजी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु, भारत सरकार ने भारत सरकार के पक्ष में, ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के द्वारा बैंक की पूंजी में रु.2,970 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक का निवेश करने का निर्णय लिया है।

(ख) निर्गम में अभिदान करने हेतु प्रवर्तक का प्रस्ताव :

ईक्विटी शेयर के कुल अधिमानी निर्गम में बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार द्वारा संपूर्ण अभिदान किया जाएगा।

## (ग) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का पैटर्न :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व (दि० 31.12.2014 को)		निर्गम के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
i	प्रवर्तक की शेयरधारिता (भारत सरकार)	437,45,98,250	58.60	**	**
ii	जनता की शेयरधारिता	309,11,32,670	41.40	309,11,32,670	**
iii	योग	746,57,30,920	100.00	**	100.00

\*\* भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले कुल शेयरों की गणना, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) में निर्धारित मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार, "प्रासंगिक तारीख" को निर्धारित किए जाने वाले निर्गम के मूल्य के आधार पर की जाएगी। पूर्वोक्त विनियम 76(1) के अनुसार, निर्गम का मूल्य, "प्रासंगिक तारीख" से 26 सप्ताह पूर्व और "प्रासंगिक तारीख" से 2 सप्ताह बाद की अवधि के दौरान शेयर बाजार में, भारतीय स्टेट बैंक के उद्धृत बंदी मूल्य के उच्च और न्यून साप्ताहिक मूल्य के उच्चतर औसत मूल्य से कम नहीं होगा। "प्रासंगिक तारीख", अधिमानी आबंटन पर विचार करने हेतु, आयोजित शेयरधारकों की आमसभा की तिथि से 30 दिन पूर्व की तारीख होती है और यदि यह तारीख अवकाश के दिन/सप्ताहांत के दिन पड़ती है, तो इससे पहले की तिथि "प्रासंगिक तारीख" के रूप में गिनी जाएगी। उपर्युक्त उद्देश्य से 'शेयर बाजार' कोई भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार होगा जिसमें ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं और जिसमें "प्रासंगिक तारीख" से 26 सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान, बैंक के शेयरों की उच्चतम मात्रा का व्यापार किया गया हो। इस प्रकार निर्गम किए जाने वाले शेयरों का (प्रीमियम सहित) कुल मूल्य रु.2,970 करोड़ से अधिक नहीं होगा। उदाहरणार्थ, कल्पित "प्रासंगिक तारीख" के आधार पर गणना करने पर, रु.300 के कल्पित निर्गम मूल्य पर, अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या **447,35,98,250** होगी और अधिमानी आबंटन के पश्चात, बैंक के शेयरों की कुल संख्या **756,47,30,920** होगी और इसलिए अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता **59.13%** होगी। तथापि, निर्गम किए जानेवाले शेयरों की वास्तविक संख्या और तत्पश्चात शेयरधारिता का पैटर्न, वास्तविक "प्रासंगिक तारीख" के आधार पर, निर्धारित किए जाने वाले वास्तविक निर्गम मूल्य के आधार पर घट-बढ़ सकती है।

## (घ) अधिमानी निर्गम पूरा होने की समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा पारित इस संकल्प के अनुसार, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर आबंटन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु यदि किसी विनियमन प्राधिकारी अथवा केंद्र सरकार से कोई अनुमोदन अथवा अनुमति बकाया हो, तो 15 दिन की इस अवधि की गणना ऐसे आवेदन पर आदेश की तिथि से या अनुमोदन अथवा अनुमति की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

## (ङ) प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, अधिमानी निर्गम के पश्चात उनके द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो :

चूंकि संपूर्ण निर्गम, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः अधिमानी आधार पर, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या	निर्गम पश्चात शेयरधारिता का %
भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) द्वारा किया जाता है।	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार

(च) बैंक के ईक्विटी शेयर छह महीने से भी अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान और सेबी आईसीडीआर के विनियम 73(1) (च) और (छ) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(छ) सेबी आईसीडीआर के विनियमन के अनुसार, प्रस्तावित विशेष संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार को निर्गम और आबंटित किए जाने वाले सभी ईक्विटी शेयर क्रय-विक्रय के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगे और भारत सरकार की अधिमानी आबंटन-पूर्व शेयरधारिता, क्रय-विक्रय के अनुमोदन की तिथि से छह महीने की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।

(ज) निर्गम, सेबी आईसीडीआर विनियमन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, इस बात को प्रमाणित करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, 24/03/2015 की साधारण सभा में रखा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर गैर-कागजी स्वरूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों में जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीबद्धता करार में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयर्स की निरंतर सूचीबद्धता संबंधी शर्तों का अनुपालन करता है।

### टिप्पणियां

#### (i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची:

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय में और बैंक की वेबसाइट : [www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in](http://www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in) पर कारपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं :

- (i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021 – टेलीफोन नं. (022)-22740841-0848.
- (ii) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, पार्ट-बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093, टेलीफोन नं. (022)-66712201-03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 24/03/2015 को साधारण सभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021 में 16/03/2015 को या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

#### (ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि:

साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में 19/03/2015 को या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

- (i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021
- (ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी-6, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

**STATE BANK OF INDIA**  
**(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)**

**NOTICE**

Mumbai, the 14th February, 2015

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Tuesday, the 24/03/2015 at 11 a.m. in the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra) to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act 1955 (herein after referred to as the ‘Act’) read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Central Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations) and the Guidelines framed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Central Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, and/or any other Committee of Directors duly authorized for the purpose), to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rupee.1/- each for cash at such price to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to the tune of upto Rs. 2970 crores (Rupees two thousand nine hundred and seventy crores only) (including premium), on preferential basis to the **“Government of India.”**

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant date for determination of the Issue Price shall be the date thirty days prior to the date of the General Meeting in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares to be offered and allotted by way of Preferential issue shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors, the Chairman or any of the Managing Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

Corporate Centre,  
State Bank Bhavan,  
Madame Cama Road,  
Mumbai – 400 021  
Date: 14.02. 2015

ARUNDHATI BHATTACHARYA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./39/14]

**EXPLANATORY STATEMENT****Disclosures as required to be made in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.****(a) Objects of the Preferential Issue:**

To enable the Bank to meet CET-1 Capital requirement under Basel-III the Government of India has decided to infuse the amount to the tune of up to Rs. 2970 crores (Rupees two thousand nine hundred and seventy crores only) (including premium) in the capital of the Bank by way of preferential issue of equity shares in favour of the Government of India.

**(b) Proposal of the promoter to subscribe to the offer:**

The entire Preferential Issue of equity shares will be subscribed by the Government of India, the Promoter of the Bank.

**(c) Shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue:**

Sr. No.	Category	Before the issue (As on 31.12.2014)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
i	Promoter's shareholding (Government of India)	437,45,98,250	58.60	**	**
ii	Public shareholding	309,11,32,670	41.40	309,11,32,670	**
iii	Total	746,57,30,920	100.00	**	100.00

\*\* The total number of shares to be allotted to GoI will be calculated on the basis of the issue price to be determined as on the "relevant date" in terms of the pricing formula as prescribed in Regulation 76(1) of the SEBI ICDR Regulations. In terms of the aforesaid Regulation, the issue price shall not be less than the higher of the average of the weekly high and low of the volume weightage average price of the Bank's shares quoted on the stock exchange during the period of twenty six weeks preceding the "relevant date" or of two weeks preceding the "relevant date". The "relevant date" is the date 30 days prior to the date of the General Meeting of the shareholders held to consider the preferential allotment and if such date happens to fall on a Holiday/Weekend, then the preceding date is the reckoned "relevant date". The 'stock exchange' for the above purpose will be any of the recognized stock exchanges in which the equity shares are listed and in which the highest trading volume of the Bank's shares has been recorded during the preceding twenty six weeks prior to the relevant date. The total value of the number of shares so issued (including premium) shall aggregate to not more than Rs. 2970 crores (Rupees two thousand nine hundred and seventy crores only). For example, at an assumed Issue Price of **Rs. 300.00**, calculated based on an assumed "relevant date", the number of shares held by GoI post preferential allotment would be **447,35,98,250** shares and the total number of shares of the Bank post preferential allotment would be **756,47,30,920** shares and therefore, the percentage of shareholding of GoI post the preferential allotment will be **59.13%**. However, the actual number of shares to be issued and the shareholding pattern thereafter, may increase or decrease based on the actual issue price to be determined on the basis of the actual relevant date.

**(d) Time within which the preferential issue shall be completed:**

The allotment pursuant to this resolution passed by the shareholders, shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing of this resolution, provided that if any approval or permission by any regulatory authority or the Central Government for allotment is pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of order on such application or the date of approval or permission, as the case maybe.

**(e) Identity of the proposed Allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:**

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control as a result of the proposed preferential issue.

Identity of the Proposed Allottee	No of equity shares to be allotted	% of post issue shareholding
Govt. of India represented by the President of India (Promoter)	** as per the remarks given at (c) above	** as per the remarks given at (c) above

(f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and disclosures under Regulation 73(1) (f) and (g) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

(g) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India pursuant to the proposed special resolution, shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval granted and the entire pre-preferential allotment shareholding of GoI will be locked in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

(h) The certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the General Meeting on 24-03-2015.

All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

#### NOTES :

##### (i) PROXY FORM AND ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's fourteen Local Head Offices, and Bank's websites: [www.statebankofindia.com/](http://www.statebankofindia.com/) [www.sbi.co.in](http://www.sbi.co.in) under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

- (i) Shares & Bonds Department, 14<sup>th</sup> Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021, Telephone: (022) 2274 0841- 0848.
- (ii) M/s. Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 24-03-2015.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 16-03-2015.

##### (ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 19-03-2015:

- (i) Shares & Bonds Department, 14<sup>th</sup> Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.
- (ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, “C 6”, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai -400 051